

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर

क्रमांक/जिविसेप्रा/2024/निविदा/01

दिनांक 05.03.2024

—: विज्ञप्ति :-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2023/102 दिनांक 27.02.2024 तथा आदेश क्रमांक एफ.7(136)/रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2023/101 दिनांक 27.02.2024 द्वारा राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08 (1)विधि-2/विरस(64)/2015 पार्ट II दिनांक 14.02.2024 के अनुसरण में विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा वाहन चालक के स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब व्यवस्था के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक के पदों के विरुद्ध संविदा सेवा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 28.02.2025 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पूर्व में हो) हेतु निम्न शर्तों के अधीन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक व वाहन चालक कर्मियों के पदों विरुद्ध सेवानिवृत्त कार्मिक/राज्य सरकार के विभागों से विपरित प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं निम्नानुसार ली जानी हैं:-

क्रम संख्या	पद	कार्यालय का नाम	स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या
1.	वाहन चालक	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर	01
2.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक		04
3.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	तालुका विधिक सेवा समिति, सागवाडा	01
4.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	तालुका विधिक सेवा समिति, आसपुर	01
5.	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	तालुका विधिक सेवा समिति, सीमलवाडा	01
		कुल पद	08


शर्तें:-

- उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।
 - उक्त परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी।
 - सेवानिवृत्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में विपरित प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभाग के माध्यम से उनके कर्मचारी।
- ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेगा। उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अधीन एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों अनुसार ली जावेगी।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जावेगा।
- ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- कार्मिकों को पुर्ननियुक्त के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगी। अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तों पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक कर्मचारी दिनांक 11.03.2024 को कार्यालय समय तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जरिये डाक/ई-मेल dlsa14dungarpur@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

9 जिला जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर को अखबार में प्रकाशन हेतु।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक है :-

1. विभाग के द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण-पत्र (एलपीसी) प्रति।
7. पीपीओ की प्रति।
3. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रारूप संलग्न) है।


सचिव,


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2024 / 06

दिनांक 05.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), डूंगरपुर
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs / में सूचित करने बाबत।
4. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
8. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर को अखबार में प्रकाशन हेतु।
9. सिस्टम ऑफिस, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को जिला न्यायालय की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा व जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर
8. तालुका विधिक सेवा समिति, सागवाडा / आसपुर / सीमलवाडा
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर